संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, चौंथी मंजिल
भोपाल – 462 004

क्रमांक / 5 / यो / एस / 2008 / 8915 भोपाल, दिनांक 4/06/2008

प्रति,

प्राचार्य
समस्त तकनीकी संस्थायें
....
मध्यप्रदेश

विषयः– गांव की बेटी योजना बाबत्।

.......000.......

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही "गांव की बेटी योजना" का लाभ तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं को भी दिया जाता है। इस कार्य को संपादित करने हेतु संचालनालय द्वारा प्राचार्य, शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय, भोपाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। विषयांतर्गत नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्य का संपादन किया जाता था। उक्त व्यवस्था में आशिंक परिवर्तन करते हुये सूचित किया जा रहा है। कि गांव की बेटी योजना का लाभ प्राप्त करने वाली मेधावी छात्राओं के आवेदन सीधे ही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त घोषित जिले के अग्रणी कालेज को प्रेषित करें एवं प्रकरण का निराकरणा अग्रणी कालेज से व्यक्तिगत संपर्क एवं पत्राचार द्वारा करें। संचालनालय से इस संबंध में पत्राचार करने की आवश्यकता नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त अग्रणी कालेजों की सूची एवं निर्देश पत्र के साथ संलग्न है। उक्त जानकारी विभाग की website www.mptechedu.org पर भी उपलब्ध करायी गयी है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

संचालक, तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / 5 / यो / एस / 2008 / 8915 भोपाल, दिनांक 4/6/2008

प्रतिलिपिः– कम्प्यूटर शाखा, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को website पर दर्ज करने का कष्ट करें।

O/C

संचालक, तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक– F–19–7/07/2–अड़तीस भोपाल, दिनांक 30-8-07

प्रति,

1. प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, महिला बाल विकास/वित्त/स्कूल शिक्षा विभाग/ अनुसूचित जाति/जनजाति/तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल म प्र
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

विषयः– गाँव की बेटी योजना
संदर्भ – पत्र क्रमांक एफ–19–7/05/2–अड़तीस दिनांक 07.10.05

***

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गाँव की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिये "गाँव की बेटी योजना" के संबंध में एतद् द्वारा **गाँव की बेटी योजना नियम, 2007** बनाये जाते हैं।

1. योजना हेतु – पात्रता एवं मापदण्ड

1.1 यह योजना पूरे मध्यप्रदेश में लागू होगी।

1.2 छात्रा को गांव का निवासी होना चाहिए एवं 12वीं कक्षा गांव में रहकर गाँव की पाठशाला से उत्तीर्ण होना चाहिए।

1.3 योजना शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं, अनुदान प्राप्त अशासकीय शैक्षणिक संस्थाऐं जिनकी फीस शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के अनुसार हों तथा विश्वविद्यालयों में लागू होगी।

1.4 सभी शर्तें पूर्ण करने पर नवोदय विद्यालयों से पढ़कर बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं पर भी यह योजना लागू होगी।

1.5 नगरीय अथवा शहरी क्षेत्रों की निवासी एवं उन क्षेत्रों के विद्यालयों से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने की पात्र नहीं होंगी।

1.6 प्रत्येक गांव से प्रतिवर्ष प्रथम श्रेणी में 12वी परीक्षा उत्तीर्ण समस्त बालिकाओं का चयन किया जाएगा, अतः प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण बालिका ने उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया होगा उसे ही इस योजना का लाभ पाने की पात्रता होगी।

1.7 योजना में पात्रता हेतु जाति तथा आय का बंधन नहीं होगा।

RH

अदर माना जायगा।

1.9 छात्रा जिस सत्र में कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करती है उसी सत्र उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेना होगा।

1.10 यदि छात्रा 12वीं की कक्षा में पूरक से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती है तो भी वह इ योजना के लिये पात्र होगी।

1.11 छात्रा शासन द्वारा प्रदाय छात्रवृत्तियों में एक समय में एक ही छात्रवृत्ति का लाभ ले सकती है।

1.12 स्नातक स्तर पर छात्रा का निरंतर अध्ययनरत होना आवश्यक है। उदाहरण के लिये -- यदि छात्रा 2007 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करती है तो आगामी वर्ष में निरन्तरता से स्नातक शिक्षा पूर्ण करना आवश्यक है ।

1.13 छात्रा द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु दिया गया प्रमाण पत्र यदि गलत या असत्य पाया जाता है तो प्रदाय की गई छात्रवृत्ति की वसूली कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्राचार्य स्तर पर की जावेगी ।

1.14 अशासकीय महाविद्यालय (क्र 1.3 अनुसार) में अध्ययनरत छात्राओं के इस योजना से लाभान्वित होने पर उच्च शिक्षा के अधीनस्थ संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी ।

1.15 शैक्षणिक सत्र के **माह सितंबर की 30** तारीख तक छात्रा का आवेदन पत्र प्राप्त होना आवश्यक है । उक्त दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

2. चयन प्रक्रिया

2.1 सर्व प्रथम गाँव की प्रत्येक शाला प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्राओं की एक सूची तैयार करेगी जिसमें छात्रा का नाम, पिता का नाम, शाला का नाम, प्राप्तांक एवं पूर्णांक तथा प्रतिशत अंकित होंगे।

2.2 इस मैरिट सूची को संबंधित गाँव की पाठशाला के प्राचार्य द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सौंपा जाएगा।

2.3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत स्तर पर एक चयन समिति गठित होगी जो निम्नानुसार होगी--

1.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	अध्यक्ष/संयोजक
2.	महिला एवं बाल विकास विभाग के एक प्रतिनिधि	सदस्य
3.	आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के एक प्रतिनिधि।	सद स्य
4.	उच्च शिक्षा विभाग के एक प्रतिनिधि	सदस्य
5.	संबंधित क्षेत्र के ब्लाक एजूकेशन अधिकारी	सदस्य

2.4 प्रथम श्रेणी सूची के आधार पर समिति गाँव की पाठशाला से छात्राओं को गाँव की बेटी का प्रमाण--पत्र जारी करेगी, जिसमें उनके प्राप्तांक, ग्राम, ब्लाक व जिले का उल्लेख होगा।

Ahn

.5 जनपद पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा एक सादा समारोह प्रति वर्ष 15 अगस्त को आयोजित किया जायेगा, जिसमें जनपद के गणमान्य व्यक्ति एवं अन्य शासकीय अधिकारी उपस्थित होंगे। इसमें गाँव की बेटी निम्न लिखित शपथ लेगी कि –

"मै ....(नाम)..............................(पिता/पति).. (गाँव)..(तहसील)...............................एतद द्वारा शपथ लेती हूँ कि मै अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण करूंगी तथा मेरी उच्च शिक्षा पूर्ण होनें के पश्चात जो भी कार्य करूंगी या समाज में जो भी स्थान ग्रहण करूंगी, उसके दौरान मैं अपने गाँव की अन्य बालिकाओं की शिक्षा के स्तर के उन्नयन एवं समाज में उनका स्थान बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत रहूँगी।"

2.6 सत्र 2007–08 हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त होने की तिथि 30 सितम्बर तथा प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि 31 अक्टूबर तक रहेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आवेदिका का आवेदन समय–सीमा में प्राप्त होने की स्थिति में प्रमाण–पत्र जारी करना सुनिश्चित करे व समय–सीमा में जारी न करने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व संबधित अधिकारी का होगा।

2.7 समिति के समक्ष निम्न लिखित अभिलेख प्रस्तुत किए जाएंगे–

1. शाला के प्राचार्य द्वारा प्रथम श्रेणी प्राप्त छात्राओं की सूची।
2. गाँव की बेटी योजना के अंतर्गत प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु संबंधित छात्रा द्वारा आवेदन पत्र।
3. संबंधित छात्रा गाँव की निवासी है, इस संबंध में सरपंच का प्रमाण–पत्र।
4. प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में शाला प्रमुख का प्रमाण–पत्र।
5. जनपद पंचायत द्वारा जारी किये जाने वाला गाँव की बेटी का प्रमाण–पत्र।

नोट– उपरोक्त सभी अभिलेखों का नमूना संलग्न है।

3. गाँव की बेटी योजना के अंतर्गत लाभ एवं सुविधाएं–

3.1 गाँव की बेटी योजना के अंतर्गत चयनित छात्रा को उच्च शिक्षा (एवं इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा (एवं इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय), स्कूल शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में लाभ पाने की पात्रता होगी।

3.2 उपरोक्त कंडिका 3.1 में दर्शाए विभागों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों (जिसमें छात्रा ने प्रवेश पाया है) के लिए निर्धारित शुल्क में छूट की पात्रता होगी। इसके लिए संबंधित विभाग अपने स्तर से संबंधित संस्थाओं को पृथक से निर्देश जारी करेंगे।

3.3 उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग यह सुनिश्चित करेगें कि उनके व्दारा संचालित छात्रावासों में इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्रा को निर्धारित किये गये शुल्क से छूट प्रदान की जाये, एवं यदि

निरन्तर ....

aM

संभव हो तो इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्रा को छात्रावास में प्रवेश के लिए प्राथमिकता भी दी जाए।

3.4 छात्रा को प्रतिमाह रू. 500/–(पांच सौ रूपये) की दर से शैक्षणिक सत्र 10 माह के लिए रूपये 5000/–(पांच हजार रूपये) सालाना की आर्थिक मदद दी जाएगी।

3.5 योजना के अंतर्गत किराये के भवन में रहने पर किराये की पात्रता नहीं होगी।

4. विवादों का निपटारा–

गाँव की बेटी के चयन को लेकर विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के समक्ष चयन के 15 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत चयन के विरूद्ध प्राप्त अपील अपने अभिमत एवं संबंधित अभिलेखों के साथ आयुक्त, उच्च शिक्षा को निर्णय हेतु भेजेंगे। आयुक्त, उच्च शिक्षा का गाँव की बेटी के चयन के संबंध में निर्णय अंतिम होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Shrivastava

(स्नेहलता श्रीवास्तव) 30.8.07
प्रमुख सचिव,
म प्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक/F–19–7/07/2–अड़तीस   भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला/ब्लाक जनपद पंचायत म प्र।

30/8/07
उप सचिव,
म प्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग

फोटो

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

गाँव की बेटी योजना–आवेदन प्रारूप

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत जिला..................................
मध्यप्रदेश।

निवास परिचय–

1 छात्रा का नाम..

2 पिता का नाम माता का नाम

3 जन्म तिथि जन्म स्थान

4 स्थायी पता (गाँव का पता)
तहसील
थाना
जिला

5 जाति.............................. सा./पिछड़ा/अनुजाति/जनजाति

6 शैक्षणिक परिचय

7 स्कूल/संस्था का नाम

उत्तीर्ण करने वर्ष	कक्षा	अनुक्रमांक	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	विषय
	10 वीं					
	12 वीं					

घोषणा

मैं घोषणा करती हूँ कि उक्त जानकारी मेरे द्वारा भरी गई है जो सत्य है।

हस्ताक्षर (छात्रा) हस्ताक्षर
(छात्रा के पिता/पति का पूरा नाम)

रसीद

कार्यालय, जनपद पंचायत ..../जिला...............................

कुमारी/श्रीमती...पिता/पति श्री ....

का पूर्ण आवेदन पत्र ....दिनांक को प्राप्त किया।

हस्ताक्षर पदमुद्रा
कार्यपालन अधिकारी

12

प्रपत्र – 2

गाँव की बेटी योजना हेतु

.....................................ग्राम सरपंच का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्रीमती..

पिता/पति श्री ....ग्राम..

विकास खण्ड..तहसील...

जिला...के निवासी है तथा विगत ....वर्षों से गांव में निवास कर रहे हैं।

हस्ताक्षर पदमुद्रा
पंचायत सचिव सरपंच

प्रपत्र – 3

गाँव की बेटी योजना हेतु शाला प्रमुख का प्रमाण–पत्र

..................................ग्राम सरपंच का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्रीमती... पिता/पति श्री ....इस विद्यालय में वर्ष..............................से नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन कर रही है, तथा अभिलेखों के अनुसार इन्होनें 12 वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है

स्थान :............................

दिनांक :............................

प्राचार्य के
हस्ताक्षर/पदमुदा
सहित

प्रपत्र – 4

चयनित गाँव की बेटी का प्रमाण–पत्र

फोटो

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्रीमती...

पिता/पति..इस ग्राम....................................

विकास खण्ड ....तहसील.......................................

जिला......................................के अंतर्गत 12 वीं परीक्षा वर्ष.................................में

प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, इन्हें स्कूल की चयन समिति द्वारा गाँव की बेटी के रूप में चयन किया गया है। इन्हें गाँव की बेटी के रूप में चयनित किया गया है। इन्हें गाँव की बेटी नियम, 2007 की कंडिका–1.6 एवं 2.4 के अनुसार इस योजना का लाभ पाने की पात्रता होगी।

स्थान...............
दिनांक........

हस्ताक्षर/पदमुदा सहित
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत......

शासकीय अग्रणी महाविद्यालयों की सूची

	महाविद्यालय का नाम	जिला
1	शासकीय जयवन्ती हक्सर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल	बैतूल
2	शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल	भोपाल
3	शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, हरदा	हरदा
4	शासकीय गृह विज्ञान कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, होशंगाबाद	होशंगाबाद
5	शासकीय स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय, रायसेन	रायसेन
6	शासकीय महाविद्यालय, राजगढ़	राजगढ़
7	शासकीय चन्द्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर	सीहोर
8	शासकीय कन्या महाविद्यालय, विदिशा	विदिशा
9	शासकीय एम.जे.एस. महाविद्यालय, भिण्ड	भिण्ड
10	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दतिया	दतिया
11	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुना	गुना
12	शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर	ग्वालियर
13	शासकीय कन्या महाविद्यालय, मुरैना	मुरैना
14	शासकीय महाविद्यालय, श्योपुरकला	श्योपुरकला
15	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी	शिवपुरी
16	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी	बड़वानी
17	शासकीय एस के पी महाविद्यालय, देवास	देवास
18	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार	धार
19	शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर	इंदौर
20	शासकीय शहीद चन्द्रशेखर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ	झाबुआ
21	शासकीय श्री नीलकंठेश्वर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खंडवा	खंडवा
22	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगौन	खरगौन
23	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर	मंदसौर
24	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच	नीमच
25	शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम	रतलाम
26	शासकीय बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाजापुर	शाजापुर
27	शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन	उज्जैन
28	शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय, बालाघाट	बालाघाट
29	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा
30	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दमोह	दमोह

क्र	महाविद्यालय का नाम	जिला
31	शासकीय चन्द्रविजय महाविद्यालय, डिंडोरी	डिंडोरी
32	शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर	जबलपुर
33	शासकीय तिलक महाविद्यालय, कटनी	कटनी
34	शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, मंडला	मंडला
35	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
36	शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर	सागर
37	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिवनी	सिवनी
38	शासकीय महाराजा महाविद्यालय, छतरपुर	छतरपुर
39	शासकीय छत्रसाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना	पन्ना
40	शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, रीवा	रीवा
41	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना	सतना
42	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल	शहडोल
43	शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय, सीधी	सीधी
44	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टीकमगढ़	टीकमगढ़
45	शासकीय महाविद्यालय, उमरिया	उमरिया

नोट : जिला स्तर पर शासकीय महाविद्यालय अशोकनगर का गुना से बुरहानपुर का खंडवा से तथा अनूपपुर का शहडोल के अग्रणी महाविद्यालय द्वारा संचालन किया जा रहा है।